Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 280 /17 व्यग–अधि0–उ0/2017 दिनांक–20/07/2017।

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0
पौडी/अल्मोड़ा/टिहरी/पिथौरागढ़/
हल्द्वानी/देहरादून।

2. मुख्य अभियन्ता,
रा0मा0/ए0डी0बी0/विश्व बैंक/
पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0,
देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।

विषय– **अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ– **इस कार्यालय का पत्र संख्या–828/34व्यक–स्थानान्तरण–सा/18 दिनांक–19.04.2008।**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचित करना है कि इस कार्यालय स्तर पर खण्डीय मिनिस्ट्रियल कार्मिको के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान थी। उक्त सम्बन्ध में उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के पत्र सं0– 140/मि0ए0/18 दिनांक 06.04.2018 द्वारा रिक्त पदों पर दिनांक 16.04.2018 तक पदोन्नति आदेश जारी न करने पर संघ द्वारा दिनांक 17.04.2018 से कमिक अनशन पर बैठने का नोटिस दिया गया। जिस पर दिनांक 17.04.2018 को संघ के पदाधिकारियों की प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय से हुई वार्ता/सहमति के आधार पर इस कार्यालय के पत्र सं0–278/ 17व्यग–अधि0–उ0/2017 दिनांक 20.04.2018 द्वारा खण्डीय संवर्ग के वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर एवं पत्र सं0–279/ 93व्यग–अधि0–उ0/2018 दिनांक 20.04.2018 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये है।

उक्त कम में यह भी अवगत कराना है कि स्थानान्तरण एक्ट 2017 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण 2018 के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची/रिक्तियों का विवरण पूर्व ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, तदोपरान्त संशोधित विवरण भी दिनांक–20.04.2008 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। अतः अब उक्त पदोन्नत कार्मिकों के स्थानान्तरण का संज्ञान लेते हुए सम्भावित रिक्तियों के अनुसार स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 12 के अनुरूप पात्र कार्मिकों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के विकल्प निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0सी0 पुरोहित) 19/4
मुख्य अभियन्ता स्तर–1(मु0)
20/4/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
2– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–। /।। विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो0नि0वि0।
5– अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0।
6– अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को लोक निर्माण विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रथम, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1(मु0)